मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 7–13/2004/आ.प्र./एक
भोपाल, दिनांक 18 फरवरी, 09

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश।

विषयः– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन।

संदर्भः– (1) सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7–13/2004/आ.प्र./एक, दिनांक 11 जुलाई, 2005.

(2) सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7–13/2004/आ.प्र./एक, दिनांक 16 जुलाई, 2008.

सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2005 व्दारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गो के जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। राज्य शासन उक्त परिपत्र की कंडिका – 3 में निम्नानुसार संशोधन करता है :–

(1) कंडिका–3 की उप कंडिका 3.1 विलोपित की जाती है।

(2) कंडिका 3 की उप कंडिका 3.2 की अंतिम पंक्ति विलोपित की जाती है, इस कंडिका को निम्नानुसार पढ़ा जाए :–

3.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक यदि उनके माता–पिता को मूल राज्य के सक्षम प्राधिकारी व्दारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो उसके आधार पर आवेदक को एक पृथक निर्धारित प्रारुप ''तीन'' में जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

परिपत्र दिनांक 11 जुलाई,2005 की कंडिका –3 की शेष उप–कंडिकाऐं यथावत् रहेगी।

2/ इस विभाग के परिपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2005 के साथ प्रवृजन संबंधी प्रकरणों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारुप ''तीन'' संलग्न किया गया था। उक्त प्रारुप में आंशिक संशोधन कर नवीन प्रारुप संलग्न किया जा रहा है। समस्त जिलाध्यक्ष एवं सक्षम प्राधिकारी भविष्य में प्रारुप ''तीन'' के प्रकरणों के लिए इसी प्रारुप का उपयोग करना सुनिश्चित करें।

..2..

TATWADE

3/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 7–13/2004/आ.प्र./एक, दिनांक 16 जुलाई, 2008 व्दारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के जाति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी अतिरिक्त निर्देश जारी किए गए है, जिसकी कंडिका–2 में जाति प्रमाण पत्र जारी करने की पूर्व निर्धारित छः माह की समयावधि को घटाकर ''तीन माह'' की गई थी। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त समयावधि को संशोधित कर स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु ''एक माह'' की समयावधि निर्धारित की जाये। अतः एक माह की समयावधि में स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाये।

4/ परिपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2005 की कंडिका 6.7 एवं परिपत्र दिनांक 16 जुलाई, 2008 की कंडिका–8 में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि विशेष परिस्थिति में आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ''प्रोविजनल'' जाति प्रमाण पत्र ''सात दिवस'' के अंदर जारी किया जाये। यह ''प्रोविजनल'' जाति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से सिर्फ तीन माह की अवधि के लिए ही मान्य होगा तथा इस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त की गई सुविधाएं पूर्णतः ''प्रोविजनल'' होगी जो जाति प्रमाण पत्र की वैद्यता अवधि तक ही जारी रहेगी। प्रोविजनल जाति प्रमाण पत्रों पर ''प्रोविजनल'' एवं वैद्यता तिथि ''तीन माह'' मुद्रित करना या मुहर लगाना आवश्यक है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अकोला हशमत)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कमांक एफ 7–13/2004/आ0प्र0/एक भोपाल, दिनांक 18 फ़रवरी, 2009

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर ।
3. सचिव, मान0 मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,भोपाल ।
5. अध्यक्ष, म0प्र0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल ।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय,भोपाल ।

..3..

8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/ पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भोपाल।
9. रजिस्ट्रार, जनरल,उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश,जबलपुर ।
10. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल ।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल ।
12. सचिव, म0प्र0 लोकसेवा आयोग, इन्दौर ।
13. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं.309 निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52–ए अरेरा हिल्स, भोपाल.
14. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं. 103 तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी पूंजा गुप्ता, हैदराबाद–500082.
15. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/ अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल।
16. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
17. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव,मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग.
18. आयुक्त,जनसंपर्क,मध्यप्रदेश,भोपाल ।
19. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण/अभिलेख/ पुस्तकालय।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी संबंधितों को अवगत कराएं।

(आर0के0 गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

TATWADE

प्रारूप–"तीन"

अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में प्रवृजन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये.

जाति प्रमाण पत्र

(मध्यप्रदेश राज्य के लिये मान्य नहीं)

अनुक्रमांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री श्री .....
.....निवासी ग्राम/शहर .....जिला.....राज्य/संघक्षेत्र .....
की निवासी होकर सरल क्रमांक .....पर उल्लेखित जाति .....की/के सदस्य है यह जाति निम्नलिखित आदेशों के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित है:–

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950.
- संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ क्षेत्र) आदेश, 1951.
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ क्षेत्र) आदेश, 1951.अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956, मुम्बई. रिआर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (रिआर्गेनाइजेशन) अधिनियम 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित.
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1969, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित.
- संविधान (दादर एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962
- संविधान (दादर एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962
- संविधान (पांडिचेरी) अनूसूचित जाति आदेश, 1964.
- संविधान (उत्तर प्रदेश) अनूसूचित जनजाति आदेश, 1967.
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968.
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968.
- संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जाति आदेश, 1970.
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978.
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 1990.
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991.
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1991.
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 1996.
- अनुसूचित जाति/जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

2/ यह प्रमाण पत्र.....द्वारा(सक्षम अधिकारी का नाम) श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री श्री.....ग्राम/शहर.....जिला.....राज्य/संघक्षेत्र.....
को क्रमांक.....दिनांक.....द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जा रहा है, जिसके अनुसार.....राज्य/संघक्षेत्र में इनकी जाति.....क्रमांक.....पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्य है।

राज्य--मध्यप्रदेश
स्थान.....
दिनांक.....

(कार्यालय की मुहर)

हस्ताक्षर
नाम/पदनाम

नोटः–यह प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा देय आरक्षण/सुविधाओं के लिये मान्य नहीं है।

TATWADE

प्रारूप–''तीन'

अन्य राज्यों से प्रवृजन कर मध्यप्रदेश में आने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिये

जाति प्रमाण पत्र

(मध्यप्रदेश राज्य के लिये मान्य नहीं)

अनुक्रमांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री श्री..... .....निवासी ग्राम/शहर .....तहसील.....जिला..... प्रदेश/संघक्षेत्र.....का/की निवासी होकर सरल कमांक .....पर उल्लिखित जाति .....का/की सदस्य है, जो निम्नलिखित आदेशों के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है :–

- भारत के असाधारण राजपत्र भाग--1 खण्ड–1 सं. 186 दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/93 बीसीसी(सी),दिनांक 10 सितम्बर, 1993.
- भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 सं. 163, दिनांक 20 अक्टूबर, 1994 मे प्रकाशित संकल्प सं. 12011/9/94–वीसीसी दिनांक 19 अक्टूबर, 1994.
- भारत के असाधारण राजपत्र भाग–1 संख्या 88 दिनांक 25 मई, 1995 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/7/95–बीसीसी दिनांक 24 मई, 1995.
- भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं.210 दिनांक 11 दिसम्बर 1996 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/96–बीसीसी दिनांक 6 दिसम्बर, 1996.
- भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं.129 दिनांक 8 जुलाई 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93–बीसीसी.
- भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं.164 दिनांक 01 सितम्बर 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/11/12/96–बीसीसी.
- भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं.236 दिनांक 11 दिसम्बर 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/99/94–बीसीसी.
- भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं.239 दिनांक 03 दिसम्बर 1997 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/13/97–बीसीरी .
- भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं.166 दिनांक 03 अगस्त 1998 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/12/96–बीसीसी .
- भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं.171 दिनांक 06 अगस्त, 1998 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93–बीसीसी .
- भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं.241 दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/98–बीसीसी .
- भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं.270 दिनांक 6 दिसम्बर 1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/88/98–बीसीसी.
- भारत सरकार के असाधारण राजपत्र सं.71 दिनांक 4 अप्रेल, 2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/36/99–बीसीसी.

2/ यह प्रमाण पत्र.....द्वारा (सक्षम अधिकारी का नाम) श्री/श्रीमती/कुमारी .....पुत्र/पुत्री श्री.....ग्राम/शहर.....जिला..... .राज्य/संघक्षेत्र.....को कमांक.....दिनांक.....द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जा रहा है, जिसके अनुसार.....राज्य/संघक्षेत्र में इनकी जाति. .....कमांक.....पर अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में घोषित है।

3/ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93--स्था.(एससीटी) दिनांक 8–9–1993 की अनुसूची के कॉलम –3 में उल्लिखित कीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

राज्य–मध्यप्रदेश

दिनांक.....

मुहर

सक्षम प्राधिकारी

(जिलाधीश/उपायुक्त इत्यादि)

TATWADE